प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ।

यादि क्रमांकः 322-SW(1)-2021
दिनांक चण्डीगढ   जुलाई, 2021

विषयः—   डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 75—स0क0(1)—2008, दिनांक 16.01.08, 1696—स0क0(1)—18.08.2009, 1198—स0क0(1)स—2016, दिनांक 15.09.2016 तथा क्रमांक 174—स0क0 (1)—2018, दिनांक 07.02.2018 सन्दर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग के साथ—साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन करने हेतु सहर्ष आदेश देते हैः—

<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के साथ—2 विमुक्त घुमन्तु, अर्ध घुमन्तु और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए</td><td>अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग विमुक्त घुमन्तु, और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के साथ—2 अन्य वर्गों के छात्रों के लिए भी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुसूचित जाति, विमुक्त घुमन्तु, अर्ध—घुमन्तु और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:</td><td>अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग विमुक्त घुमन्तु, और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के साथ—2 अन्य वर्गों के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा</th><th colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</th><th>कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी</th><th>छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)</th></tr>
<tr><td></td><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा</th><th colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</th><th>कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी</th><th>छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)</th></tr>
<tr><td></td><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>मैट्रिक</td><td>80%</td><td>75%</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष</td><td>8000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. विभाग मामले में यह भी सूनिश्चित करेगा कि अगले दो मास के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्कीम को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग हरियाणा के अशा0क्रमांक 12/05/2021—4एफ0जी0—II/5048 दिनांक 28.04.2021 द्वारा दी गई उनकी मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है।

—Sd—
उप सचिव
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

—पृष्ठ जारी.......

पृष्ठांकन क्रमांकः 322-SW(1)-2021 दिनांक चण्डीगढ 20 जुलाई, 2021

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ।
2. महालेखाकार (ऑडिट), हरियाणा, चण्डीगढ।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, पंचकूला।
4. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
5. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला।
7. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
8. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ।
9. सभी उपायुक्त।
10. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्याय (हरियाणा राज्य) ।
11. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंचकूला।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
13. सभी जिला कल्याण अधिकारी (हरियाणा राज्य)।

उप सचिव
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।